न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 450 / 2023

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

1. रविन्द्र कुमार
2. सुनील कुमार
3. प्रीतम कुमार

} पि0 भगवानाराम जाति समस्त बिश्नोई सा. 5 आई.डी.जी. इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–––वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र रामकरण
2. आरती देवी
3. चन्द्रपाल
4. पुनमा

} भगवानाराम } जाति समस्त बिश्नोई निवासीगण 5 आई.डी.जी. इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–––प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री कैलाश सिंवल –वकील वादीगण
2. श्री बन्टुश बिश्नोई–वकील प्रति.सं.1ता6

वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :– 3/04/24

वादीगण रविन्द्र कुमार वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 29.09.2023 को इस न्यायालय में पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपना रजिस्टर्ड पता वाद पत्र के शीर्षक मे सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पेश कर अंकित किया है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक नं. 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 98 / 51 जं.सं. 2072–75 में 4.5225 है. व चक नं. 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 53 / 15 जं.सं. 2071–74 में 1 / 10 हिस्सा अर्थात 0.081 है. तथा चक नं. 12 के.एस.डी. के खाता सं. 41 / 36 जं.सं. 2071–74 में 87 / 299 हिस्सा अर्थात 0.957 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का पिता है। प्रतिवादी सं. 1 ने दो शादी कर रखी है। प्रतिवादी सं. 1 की प्रथम पत्नी कौशल्या वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 की माता है तथा दूसरी पत्नी शारदा प्रतिवादी सं. 3 व 4 की माता है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. [illegible] ने वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का आपस में घरू बंटवारा [illegible] रखा है। बंटवारे में प्रतिवादी सं. 3 को चक नं. 12 के.एस.डी. के खाता सं. 41 / 36 में 0.470 है. कृषि भूमि व चक नं. 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 98 / 51 में 3.01[illegible] है. कृषि भूमि प्राप्त हुई थी जो कि प्रतिवादी सं. 3 चन्द्रपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः प्रतिवादी सं. 3 वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित अपने पिता के नाम दर्ज कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.04.26 11:30:42 I
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

भूमि मे कोई हक वा हिस्सा नही लेना चाहता है। अत. वादीगण प्रतिवादी स. 3 के हक वा हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी स. 1 को अन्य चल व अचल सम्पति प्राप्त हुई है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ने वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण को ब.हि.ब. घरू बंटवारा मे दी है। अत. वादीगण प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी स 2 व 4 वादीगण की बहिने है। प्रतिवादी स. 2 व 4 का वादपत्र की चरण स. 2 में वर्णित कृषि भूमि में जो भी हक हिस्सा बनता है. का परित्याग वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 2 व 4 वादपत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा नही रखना चाहती है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। किन्तु कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नही होने से वादीगण के विधिक एवं खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादीगण वादपत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित कृषि भूमि को वादपत्र की चरण सं. 4 ता 7 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण ने पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण से अलग–अलग निवेदन किया कि वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार होना मान लेवे तो प्रतिवादीगण वादीगण के इस न्यायोचित निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गये. बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया, जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 5 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमे राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा पैतृक सम्पति के साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 98/51 जं.सं. 2072–75 व चक नं. 3 आई.डी.जी. खाता सं. 53/15 जं.सं. 2071–74 तथा चक 12 के.एस.डी. खाता सं. 41/36 जं.सं. 2071–74 की प्रति पेश की। जमाबन्दी दस्तावेज EXP-1 To EXP-3 प्रदर्श हुए। साक्ष्य वादी में वादी प्रीतम कुमार का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.[illegible] मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष में वादी अभिभाषक ने [illegible] किया कि वादीग[illegible] प्रतिवादी सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार के सदस्य है [illegible] विरासतन है। वकील वादीगण ने मुताबिक अनुतोष वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verifi
Digitally signed by Rakes
Meena
Date: 2024.04.26 11:30:4
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

[illegible] कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 98/51 जं.सं. 2072–75 व चक नं. 3 आई.डी.जी. खाता सं. 53/15 जं.सं. 2071–74 तथा चक 12 के.एस.डी. खाता सं. 41/36 जं.सं. 2071–74 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थाई प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है। वाद में वर्णित आराजी विरासतन आराजी है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का राजीनामा पेश हुआ है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त संबंधित अन्य कोई विवाद सामने नही आया है। वाद वादीगण राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 भगवानाराम के नाम से दर्ज तहसील संगरिया के चक नं. 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 98/51 जं.सं. 2072–75 में 4.5225 है. व चक नं. 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 53/15 जं.सं. 2071–74 में 1/10 हिस्सा अर्थात 0.081 है. तथा चक नं. 12 के.एस.डी. के खाता सं. 41/36 जं.सं. 2071–74 में 87/299 हिस्सा अर्थात 0.957 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/4/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:30:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमे ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 450/2023

1. रविन्द्र कुमार
2. सुनील कुमार
3. प्रीतम कुमार

} पि0 भगवानाराम जाति समस्त बिश्नोई सा. 5 आई.डी.जी. इन्दगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

———वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र रामकरण
2. आरती देवी
3. चन्दपाल } भगवानाराम
4. पुनमा

} जाति समस्त बिश्नोई निवासीगण 5 आई.डी.जी. इन्दगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए. **दिनांक :–** 3-4-2024

यह राजस्व मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री बन्टुश बिश्नोई वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 भगवानाराम के नाम से दर्ज तहसील संगरिया के चक नं. 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 98/51 जं.सं. 2072–75 में 4.5225 है. व चक नं. 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 53/15 जं.सं. 2071–74 में 1/10 हिस्सा अर्थात 0.081 है. तथा चक नं. 12 के.एस.डी. के खाता सं. 41/36 जं.सं. 2071–74 में 87/299 हिस्सा अर्थात 0.957 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जावे।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

निज ✗ निल ✗ मुब्लिक ✗ निल ✗ बाबत ✗ निल ✗ खर्चा ✗ मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ✗ को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3.4.24 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:30:42 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया